

1.6

प्रपत्र-30

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत  
जिजोली मोटर मार्ग से देवनाई मोटर मार्ग तक निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- द्यौनाई  
तहसील गरुड़ जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में जिजोली मोटर मार्ग से देवनाई मोटर मार्ग तक मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु ( 0.000 है० आरक्षित वन भूमि, 0.327 है० सिविल सोयम भूमि, 0.00 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.327 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्यौनाई द्वारा दिनांक 26/08/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्रामपंचायत द्यौनाई के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।  
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

हप  
ग्राम सचिव  
ग्राम पंचायत 26/08/2021  
वि०ख० - गरुड़ (बागेश्वर)

Ku  
26/08/2021  
प्रधान  
ग्राम पंचायत द्यौनाई  
वि० ख० गरुड़ (बागेश्वर)

नोट:- \* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।










1.6


प्रपत्र-30.1

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत जिजोली मोटर मार्ग से देवनाई मोटर मार्ग तक निर्माण कार्य।

दिनांक 26/08/2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत-घौनाई

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	मोहन सिंह बोर S/O श्री चन्दा सिंह बोर	
2	शंकर सिंह बोर S/O जगदर सिंह बोर	
3	लक्ष्मण सिंह जौलीया S/O चमरा सिंह जौलीया	
4	बही सिंह बोर S/O मदन मोहन बोर	
5	कमल सिंह S/O मोहन सिंह	
6	चंदन सिंह S/O नारायण सिंह	
7	कमला बोर	
8	किशन सिंह S/O पून सिंह	
9	Jagdish Singh S/O Bhubhal Singh	


  
 26/8/2021

1.6  
प्रपत्र-30.2

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत जिजोली मोटर मार्ग से देवनाई मोटर मार्ग तक निर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी गरूड

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति- गरूड

उपखण्ड गरूड परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जिजोली मोटर मार्ग से देवनाई मोटर मार्ग तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य (परियोजना) के निर्माण हेतु 0.000 है० आरक्षित वनभूमि, 0.327 है० सिविल सोयम वन भूमि, 0.00 है० वन पंचायत भूमि (अर्थात कुल 0.327 है० वन भूमि) लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील गरूड की दिनांक 29/10/21 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति गरूड की बैठक 29/10/21, उप जलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति गरूड की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।


1-	श्री राजकुमार पांडे	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2-	श्री हरीशचन्द्र शर्मा	वन क्षेत्राधिकारी	उप जिलाधिकारी
3-	श्री देवेंद्र कुमार	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
4-	श्री लालत महाराज	बी०डी०सी० क्षेत्र,	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जिजोली मोटर मार्ग से देवनाई मोटर मार्ग तक मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 0.327 है० भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।


सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी, वन प्रभाग बैजनाथ गरूड द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है।

अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखंड गरुड परिक्षेत्र के अन्तर्गत जिजोली मोटर मार्ग से देवनाई मोटर मार्ग तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.327 है० वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

  
 उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष  
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
 तहसील बागेश्वर  
 जनपद-बागेश्वर, 30 100  
 जनपद बागेश्वर

प्रतिलिपि, जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
 उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष  
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
 तहसील बागेश्वर  
 जनपद-बागेश्वर, 30 100  
 जनपद बागेश्वर

1.6

प्रपत्र-30.2

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद बागेश्वर


अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रस्ताव


- 1- जिलाधिकारी, बागेश्वर अध्यक्ष
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर सदस्य
- 3- जिला पंचायत सदस्य सदस्य
- 4- जिला समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/ सचिव


आज दिनांक 29/12/21 को जिलास्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आहूत की गयी।


उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति गरुड़ के प्रमाण पत्र दिनांक 29.10.2021 द्वारा जनपद बागेश्वर में जिजोली मोटर मार्ग से देवनाई मोटर मार्ग तक मोटर मार्ग के लिए 0.327 है० भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति गरुड़ द्वारा जिजोली मोटर मार्ग से देवनाई मोटर मार्ग तक मोटर मार्ग के लिए वनभूमि परिवर्तित किये जाने को प्रस्ताव प्राप्त हुआ।


जिलास्तरीय वनाधिकार समिति जनपद बागेश्वर द्वारा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति गरुड़ के उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। वनभूमि के स्वरूप को परिवर्तन कर जिजोली मोटर मार्ग से देवनाई मोटर मार्ग तक मोटर मार्ग के लिए 0.327 है० उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा जिजोली मोटर मार्ग से देवनाई मोटर मार्ग तक मोटर मार्ग के लिए 0.327 है० भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।


  
 ( हेम चन्द्र तिवारी )  
 जिला समाज कल्याण अधिकारी  
 जिला समाज कल्याण अधिकारी  
 बागेश्वर

  
 प्रभागीय वनाधिकारी  
 बागेश्वर  
 प्रभागीय वनाधिकारी  
 बागेश्वर

  
 विनीत कुमार  
 जिलाधिकारी  
 बागेश्वर

  
 सदस्य जिला पंचायत  
 जि० पं० क्षेत्र - अर्णा  
 वि०ख० गरुड़ (बागेश्वर)

  
 सदस्य  
 जिला पंचायत क्षेत्र कौगनी  
 वि०ख० गरुड़, जिला बागेश्वर

  
 सदस्य  
 जिला पंचायत - अर्णा  
 वि०ख०/जनपद - बागेश्वर

1.6

प्रपत्र-30

Form-I

(for linear Project)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Bageshwar

No- Memd/bgr

Dated- 29/12/2021

**To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No- 11-9/ 98 FC(pt) dated 03 Aug, 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dt. 5<sup>th</sup> Feb, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.327 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **PUBLIC WORKS DEPARTMENT for Construction of road upto Deonai from Jijoli motor road in Bageshwar district** falls within jurisdiction of **Gram Panchayat Devnai in Garur Tehsil**. It is further certified that:-

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.327 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30 to annexure 30-3.
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl- As above.


Dated 29/12/2021

Signature



(Vineet Kumar,)

District Collector



(Full name and official seal of the District Collector)

1.6


प्रपत्र-30.3

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत जिजोली मोटर मार्ग से देवनाई मोटर मार्ग तक निर्माण कार्य।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित जिजोली मोटर मार्ग से देवनाई मोटर मार्ग तक मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 0.327 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति गरुड़ तथा सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिगृहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

दिनांक 29/12/2021

  
(विनीत कुमार)  
जिलाधिकारी  
बागेश्वर  
जिलाधिकारी  
महेश्वर  
बागेश्वर

नोट:- उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रायोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करया जायेगा।